

## FORM No. III




फर्द अहकाम

(नियम 28)

## न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

अशोक कुमार पुत्र राज्जन सिंह चौरड़िया निवासी शाहपुरा जरिये मुख्तयारनामा आम संजीव उर्फ संजय पुत्र राज्जन सिंह चौरड़िया निवासी शाहपुरा हाल भुवाणा, उदयपुर बगर।	बनाम	उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा।
- प्रार्थी		- विपक्षी

प्रकरण संख्या 34/2024 विविध प्रा0पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.06.2024	पत्रावली पेश बाद जांच पेश हुई। प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय से जवाबमय पत्रावली तलब की जावे। प्रकरण आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक 19.06.2024 को पेश करें।   (राजेन्द्र सिंह शेखावत) जिला कलक्टर शाहपुरा	
19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से प्रकरण में जवाब व मूल पत्रावली प्राप्त हुई। प्राप्त जवाब व पत्रावली का अवलोकन किये जाने के उपरान्त पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्य प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होते हैं। फिर भी न्यायहित में तनकीयात के बिन्दु पर प्रार्थीगण के अविश्वास को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में विचाराधीन वाद मुकदमा संख्या 94/2024 अशोक कुमार चौरड़िया व अन्य बनाम जिला कलक्टर शाहपुरा व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां में स्थानांतरित कर नियमित सुनवाई किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेशिका की प्रति मय मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  	
	 (राजेन्द्र सिंह शेखावत) जिला कलक्टर शाहपुरा	